भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 628

दिनांक 12 **दिसम्बर**, 2022

पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में उतार-चढ़ाव

628#. **श्री राम नाथ ठाकुर**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोलियम पदार्थों के खुदरा मूल्य निर्धारण हेतु वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव का समायोजन करने का तंत्र क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव का लाभ देश के उपभोक्ताओं को नहीं देती है जिसके कारण उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल अत्यधिक कीमतों पर खरीदना पड़ रहा है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): पेट्रोल और डीजल के मूल्य क्रमश: दिनांक 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार निर्धारित हैं। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं। दिनांक 16 जून, 2017 से पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दैनिक मूल्य निर्धारण को कार्यान्वित कर दिया गया है। केन्द्र सरकार ने दिनांक 22 मई, 2022 से पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमश: 8 रुपए प्रति लीटर और 6 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। इस कमी के बाद कई राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी की है।

देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्यों से जुड़े हुए हैं। तथापि, घरेलू एलपीजी के संबंध में, सरकार अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में होने वाली वृद्धि से आम आदमी को बचाने हेतु उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती बढ़ाती रहती है। इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए दिनांक 21 मई, 2022 से प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थियों हेतु अधिकतम 12 रीफिल प्रति वर्ष तक 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता घोषित की है।

******